दिनांक

आज्ञा-पत्र

होने के कारण लम्बित रखे जाने के आदेश हेतु पत्रावली दि. 29/7/15 को पेश हो।

29/7/15

पत्रावली वास्ते आदेश तथा अवेर रखे जाने के आदेश हेतु प्रस्तुत है। बहस पक्ष मनन किया व पत्रावली का अवलोकन दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थी/अपील नं. 6 द्वारा दि. 12/11/14 को आदेश तथा अवेर का पेश किया और इस जवाब प्रार्थी सुलेमान ने आदेश का.मु. दि. 20/11/14 को पेश किया। प्रतिवादी नं. 5 सुगनसिंह की मृत्यु दि. 17/07/2013 को हो चुकी है। का.मु. आदेश वसीला प्रति पक्ष के आदेश प्रस्तुती के ही साथ प्रस्तुत किया है। का.मु. आदेश 20 दिन की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। देरी का उद्देश्यपूर्ण कारण है। का.मु. के अभाव में वाद अवैधानिक है अतः आदेश किया जाता है कि आदेश दिनांक प्रार्थी/अपील नं. 6 का आदेश निरस्त किया जाकर संपूर्ण तथा अवेर वापस किया जाकर वे निरस्त फैसला कुर्क होकर नजर के काबिल है।

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner